मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
07/16/16	03/22/21	4 वर्ष, 8 माह, 6 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.
एम.ए.सी.पी. संख्या 325/2019
1. हरवंश पुत्र श्री जयगोपाल उम्र 29 वर्ष
2. श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री हरवंश उम्र 29 वर्ष
3. श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री जयगोपाल उम्र 55 वर्ष
निवासियान ग्राम खेरी, पोस्ट खड़ौरा तहसील गरौठा जिला झाँसी, उ.प्र.

----याचीगण

प्रति

1. खुशीराम पुत्र श्री भदई निवासी ग्राम ध्वानी थाना चिरगाँव, तहसील मोंठ जिला झाँसी, उ.प्र.
.....चालक इनोवा जीप नं.यूपी93 एके2930
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी ग्राम बकुँवा खर्द (सारौल) थाना बरूआसागर जिला झाँसी, उ.प्र.
.....पंजीकृत स्वामी इनोवा जीप नं.यूपी93 एके2930
3. दि न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड झाँसी जरिये मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लि. कचहरी चौराहा, झाँसी
.....बीमाकर्ता इनोवा जीप नं.यूपी93 एके2930

----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षीगण सं.1 व 2 के अधिवक्ता- श्री इन्द्रपाल सिंह
विपक्षी सं.3 के अधिवक्ता- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला

अधिनिर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित दुर्घटना में हर्ष की मृत्यु के कारण ₹13,00,000 क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनाँक 30.04.2019 को याचिया सं.2 श्रीमती संगीता देवी अपने इकलौते पुत्र हर्ष के साथ ग्राम खेरी से बराठा में सर्विस रोड़ पर सड़क किनारे कच्चे में पैदल दोपहर १:30 बजे आ रही थी, उसी समय पीछे से झाँसी की ओर से इनोवा जीप नं. यू.पी.93 एके2930 अत्यधिक तेजी व लापरवाहीपूर्वक आई ओर सड़क किनारे कच्चे में सर्विस रोड पर अपनी माँ के साथ पैदल जा रहे हर्ष में पीछे से बगैर हॉर्न बजाए तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना में आई गम्भीर चोटों के कारण हर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 6 वर्ष थी तथा वह कक्षा 1 में अध्ययनरत् था। उक्त दुर्घटना की सूचना दुर्घटना के दिनाँक को ही दे दी गयी थी जिसके आधार पर चालक के विरूद्ध संबंधित धाराओं में मुकद्दमा पंजीकृत किया गया।

3. विपक्षी सं.1 खुशीराम व विपक्षी सं.2 जितेन्द्र सिंह क्रमशः प्रश्नगत इनोवा जीप सं. यू.पी.93 एके2930 के चालक एवं पंजीकृत स्वामी की ओर से 19 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि कथित दुघर्टना के समय पर प्रश्नगत इनोवा जीप सं. यू.पी.93 एके2930 न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. (विपक्षी सं.3) के यहाँ सभी दायित्वों के लिये बीमित है व विपक्षी सं.1 चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था तथा वाहन के सभी कागजात वैध एवं प्रभावी थे। यदि कोई जिम्मेदारी विपक्षीगण की याची को क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने की पायी जाती है तो उसे अदा करने की पूर्ण जिम्मेंदारी विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी की पूर्णतः होगी।

4. विपक्षी सं.3 दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं. लि. की ओर से 15 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि कथित दुघर्टना के समय पर प्रश्नगत कार के चालक विपक्षी सं.1 चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था इस कारण विपक्षी का क्षतिपूर्ति का दायित्व नहीं होता है। विपक्षी बीमा कम्पनी की जिम्मेदारी वाहन की बीमा पॉलिसी में दिये गये प्राविधानों व शर्तो के नियमानुसार होती है अन्यथा नहीं।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 16.08.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनाँक 30.04.2019 को समय करीब 1:30 बजे दोपहर जब याचिया श्रीमती संगीता अपने पुत्र हर्ष के साथ ग्राम बराठा में सर्विस रोड पर सड़क के किनारे कच्चे में पैदल ग्राम बराटा की ओर जा रही थी तब उसी समय पीछे से इनोवा जीप नं. यू.पी.93 एके2930

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.22 12:50:14 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

के चालक ने उक्त जीप को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये याचिया के पुत्र हर्ष में पीछे से टक्कर मार दी जिससे हर्ष को गम्भीर चोटें आयीं और उपरोक्त गम्भीर चोटों के कारण हर्ष की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी ?

2. क्या दुर्घटना की दिनाँक व समय पर इनोवा जीप नं. यू.पी.93 एके2930 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था ?

3. क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर इनोवा जीप नं. यू.पी.93 एके2930 विपक्षी सं.3 दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं. लि. से बीमित थी ?

4. क्या याचीगण कोई प्रतिकर राशि पाने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो कितनी और किस विपक्षी से ?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से -

अभिलेखीय साक्ष्य-

1. फेहरिस्त 7 सी1 से 8 सी1/1 लगायत 13 सी1/7 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आधार कार्ड, पंजीयन प्रमाण-पत्र, डी.एल., बीमा पॉलिसी व पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

2. फेहरिस्त 25 सी1 से 26 सी1 लगायत 28 सी1/20 प्रपत्र, जिनमें जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत माँगी गई सूचनाएं व प्रपत्र शामिल हैं,

मौखिक साक्ष्य-

पी.डब्लू.1 याची सं.1 हरवंश (मृतक के पिता), पी.डब्लू.2 किशन (चक्षुदर्शी साक्षी)

विपक्षीगण की ओर से -

अभिलेखीय साक्ष्य-

1. विपक्षी सं.1 व 2 की ओर से फेहरिस्त 20 सी1 से 21 सी1/1 लगायत 24 सी1 प्रपत्र, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी व ड्राईविंग लाईसेंस व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य-

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

7. मैंने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>

वाद बिन्दु सं.1 को साबित करने के लिये याचीगण की ओर से जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गई सूचना/प्रपत्र 28 सी1/4 लगायत 28 सी1/5 प्रथम सूचना रिपोर्ट, 28 सी1/7 लगायत 28 सी1/8 पंचायतनामा, 28 सी1/10 लगायत 28 सी1/17 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, 28 सी1/18 लगायत 28 सी1/20 आरोप-पत्र की प्रति दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 हरवंश मृतक का पिता व याची सं.1, पी.डब्लू.2 किशन स्वतंत्र साक्षी, को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.1 हरवंश यद्यपि मौके का साक्षी नहीं है किन्तु इसने याचिका के कथनों के समर्थन में साक्ष्य दिया है। पी.डब्लू.2 किशन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनाँक 30.04.2019 को खेत से अपने गाँव बराठा की ओर सर्विस रोड पर सड़क के किनारे कच्चे में पैदल जा रहा था। आगे श्रीमती संगीता देवी अपने पुत्र हर्ष के साथ सर्विस रोड के किनारे कच्चे में पैदल अपने बाँये हाथ पर गाँव की ओर जा रही थी तो दोपहर करीब १:30 बजे झाँसी की ओर से इस साक्षी के पीछे की तरफ से इनोवा जीप नं. यू.पी.93 एके2930 अत्यधिक तेजी एवं लापरवाही पूर्वक आई और आगे जाकर सड़क के किनारे कच्चे में पैदल जा रही संगीता देवी के पुत्र हर्ष में पीछे से सड़क किनारे कच्चे में जाकर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना में आई गम्भीर चोटों के कारण हर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उक्त दुर्घटना उसके सामने घटित हुई थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि हरबंस उसके गांव के रिश्तेदार है। गवाही के लिए हरबंस उसे बुलाकर लाए है। गांव का रिश्तेदार होना व गवाही के लिए बुलाकर लाना मात्र इसकी मुख्य परीक्षा को नकारने के लिए पर्याप्त नही है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा आगे कक्षन किया है कि दुर्घटना के समय माँ बच्चे का हाथ पकड़ कर चल रही थी बच्चा माँ के बांये हाथ पर था। बच्चा माँ का हाथ छुड़ा कर सड़क पर नहीं आया था। माँ को भी टक्कर लगी थी लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई थी। थोड़ी बहुत चोट आई थी। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बात नहीं कही है कि माँ को चोट आई थी और उसको भी टक्कर लगी थी। मेरे विचार से ऐसा संभव नहीं लगता है कि कोई वाहन पीछे से टक्कर मारे तो अगल-बगल चल रहे व्यक्ति में से बाएं हाथ चलने वाले व्यक्ति को टक्कर लग जाए और दाएं चल रहे व्यक्ति को टक्कर न लगे। मेरे विचार से पीछे से टक्कर लगने पर यदि एक ही ब्यक्ति को टक्कर लगी है तो वह व्यक्ति दाहिने चलने वाला ब्यक्ति होगा इस बात की ही संभावना प्रबल होगी। कहने का आशय यह है प्रबल संभावना इस बात की बनती है कि या तो बच्चा दाहिने चल रहा होगा या फिर बच्चे ने माँ की उंगली छुड़ाकर दाहिने

भागने की कोशिश की होगी। दोनों ही स्थितियों में कुछ न कुछ माँ की भी गलती अवश्य है और इसलिए मैं इस प्रकरण में इनोवा चालक तथा बच्चे की माँ को 80 व 20 के अनुपात में लापरवाह मानता हूँ।

9. 28 सी1/4 लगायत 28 सी1/5 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत दुघर्टना के प्रकरण में दिनाँक 30.04.2019 की दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट याची सं.1 के पिता जयगोपाल द्वारा दिनाँक 30.04.2019 को ही गाड़ी नं. यू.पी.93 एके2930 के चालक अज्ञात के विरूद्ध अंकित कराई गई है। 28 सी1/18 लगायत 28 सी1/20 आरोप-पत्र की प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की उपरोक्त घटना में विवेचक ने प्रश्नगत कार नं. यू.पी.93 एके2930 के चालक के रूप में अभियुक्त खुशीराम (विपक्षी सं.1) के विरूद्ध संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया है। 28 सी1/7 लगायत 28 सी1/8 पंचायतनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि राय पंचान में यह उल्लेख है कि मृतक की मृत्यु सड़क दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई है तथा 28 सी1/10 लगायत 28 सी1/17 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अवलोकन से भी विदित होता है कि मृतक का पोस्टमॉर्टम दिनाँक 30.04.2019 को चिकित्सक द्वारा किया गया है जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण सिर में आई एन्टीमॉर्टम चोटों के कारण शॉक व हेमरेज से होने का उल्लेख है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्घटना के दिनाँक को ही समय से दर्ज करा दी गई है।

10. विपक्षी सं.1 व 2 क्रमशः प्रश्नगत कार नं. यू.पी.93 एके2930 के पंजीकृत स्वामी व चालक व विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी की ओर से याची की याचिका के कथित दुर्घटना के तथ्यों से इन्कार किया गया और यह कथन किया है कि वास्तविकता यह है कि विपक्षी सं.1 से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। क्लेम पाने की नियत से उसके वाहन के खिलाफ झूंठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जबकि विपक्षी सं.1 ने कथित दुर्घटना के तथ्यों से इन्कार किया है। किन्तु विपक्षीगण सं. 1 लगायत 3 ने अपने कथनों के समर्थन में कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं किया है।

11. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ, कि दिनाँक 30.04.2019 को समय करीब १:30 बजे दोपहर जब याचिया श्रीमती संगीता अपने पुत्र हर्ष के साथ ग्राम बराठा में सर्विस रोड पर सड़क के किनारे कच्चे में पैदल ग्राम बराठा की ओर जा रही थी तब उसी समय पीछे से इनोवा जीप नं. यू.पी.93 एके2930 के चालक ने उक्त जीप को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये याचिया के पुत्र हर्ष में पीछे से टक्कर मार दी जिससे हर्ष को गम्भीर चोटें आयीं और उपरोक्त गम्भीर चोटों के कारण हर्ष की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। इस प्रकरण में इनोवा चालक तथा बच्चे की माँ को 80 व 20 के अनुपात में लापरवाही रही है। वाद बिन्दु सं.1 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 11 सी1 व विपक्षी सं.1 व 2 की ओर से 23 सी1 कार नं. यू.पी.93 एके2930 के चालक खुशीराम विपक्षी सं.1 के ड्राईविंग लाइसेन्स की छाया प्रति दाखिल की है। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त उक्त कार के चालक के रूप में खुशीराम के विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। 11 सी1 व 23 सी1 के अनुसार चालक खुशीराम के पास दिनाँक 25.07.1998 से 30.11.2025 तक LMV (NT) व 10.10.2009 से 18.07.2021 तक Trans वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस है। उक्त का खण्डन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सका है। दुर्घटना दिनाँक 30.04.2019 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना की दिनाँक व समय पर इनोवा जीप नं. यू.पी.93 एके2930 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था। वाद सं.2 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं.12 सी1 एवं विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से 22 सी1/1 लगायत 22 सी1/2 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार प्रश्नगत कार सं. यू.पी.93 एके2930 का बीमा दिनाँक 21.03. 2019 से 20.03.2020 तक तक वैध एवं प्रभावी है। इसके अतिरिक्त याचीगण द्वारा छाया प्रति 10 सी1 व विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर 21 सी1 प्रश्नगत कार के पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रतियाँ भी दाखिल की गई हैं। उक्त बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाणपत्र का खण्डन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। प्रश्नगत का घटना दिनाँक 30.04.2019 की है। दुर्घटना के दिनाँक व समय पर इनोवा जीप नं. यू.पी.93 एके2930 विपक्षी सं.3 दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं. लि. से बीमित थी। वाद बिन्दु सं.3 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

14. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

यह वाद बिन्दु अनुतोष से संबंधित है। वाद बिन्दु सं.1 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक 30.04.2019 को समय करीब १:30 बजे दोपहर जब याचिया श्रीमती संगीता अपने पुत्र हर्ष के

साथ ग्राम बराठा में सर्विस रोड पर सड़क के किनारे कच्चे में पैदल ग्राम बराठा की ओर जा रही थी तब उसी समय पीछे से इनोवा जीप नं. यू.पी.93 एके2930 के चालक ने उक्त जीप को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये याचिया के पुत्र हर्ष में पीछे से टक्कर मार दी जिससे हर्ष को गम्भीर चोटें आयीं और उपरोक्त गम्भीर चोटों के कारण हर्ष की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। अतः याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि याची किस विपक्षी से और कितनी कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। चूँकि वाद बिन्दु सं.2 व 3 में यह निर्णीत किया गया है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत कार के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था एवं प्रश्नगत दुर्घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत कार सं. कार नं. यू.पी.93 एके2930 विपक्षी सं.3 दि न्यू इण्डिया इश्योरेंस कंपनी लि. से विधिवत् बीमित थी। अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं.3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लि. का है।

15. <u>क्षतिपूर्ति की गणना</u>-

याचीगण ने याचिका में मृतक हर्ष की उम्र 6 वर्ष अंकित की है तथा उसे कक्षा 1 में अध्ययनरत होना बताया है। पी.डब्लू.1 के रूप में याची सं.1 ने भी मृतक की उम्र दुर्घटना के समय 6 वर्ष होना तथा उसे कक्षा 1 मे अध्ययनरत होने का कथन किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक की उम्र लगभग 6 वर्ष अंकित है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयु का निश्चायक सबूत नहीं होती है। याचीगण की ओर से मृतक की उम्र के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र साक्ष्य के रूप में दाखिल नहीं किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधर पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 6 वर्ष रही होगी तथा मृतक दुर्घटना के समय अवयस्क था।

16. मोटर वाहन दुर्घटना में हुई बच्चों के मृत्यु के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था R.K. Malik and another Vs. Kiran Pal and others: MANU/SC/0809/2009 निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है-

> *"28.* लता वाधवा मामले *(*उक्त*)* में, जिसमें दुर्घटना *3* मार्च *1989* को हुई थी, को गुणक विधि को मंजूरी के साथ अपनाया गया था। *5* से *10* वर्ष की आयु के बच्चों के मामलों में, रुपये *1.50* लाख का मुआवजा "आर्थिक क्षतिपूर्ति" और रुपये *50,000 / -* का मुआवजा "पारंपरिक मुआवजे" के लिए प्रदान किया गया था। *10* से *18* वर्ष के बच्चों के मामले में रु. *4.10* लाख का मुआवजा "पारंपरिक मुआवजे" सहित प्रदान किए गए। ऐसा करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार के प्रति प्रत्येक बच्चे का योगदान *12,000 / -* रुपये के बजाय *24,000 / -* रु. प्रति वर्ष के रूप में लिया जाना चाहिए जैसा कि न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ समिति ने शिफारिश की। यह इस तथ्य के मद्देनजर था कि कंपनी में एक अलिखित नियम था कि उक्त कंपनी में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी अपने एक बच्चे का नियोजन प्राप्त कर सकता है। "

विधि व्यवस्था Puttamma and others Vs. K.L. Narayana Reddy and another: MANU/SC/1321/2013 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है-

> "जब तक केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम, *1988* की धारा *163A* की उप-धारा *(3)* के तहत निहित शक्ति के प्रयोग या संसद द्वारा किए गए संशोधनों तक ऐसा संशोधन नहीं किया जाता है, हम यह मानते हैं कि *5* वर्ष की आयु तक के बच्चे रु. *1,00,000 / - (*रुपये एक लाख*)* और *5* वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति रुपये *1,50,000 / - (*एक लाख और पचास हजार रुपये*)* के निश्चित मुआवजे या ऐसी राशि जो दूसरी अनुसूची के संदर्भ में निर्धारित की जा सकती है, मे जो भी अधिक हो के हकदार होंगे। ऐसी राशि का भुगतान किया जाना है, यदि अधिनियम, *1988* की धारा *163A* के तहत कोई आवेदन दायर किया गया हो।"

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने Nagma Bano Vs. Harish Chandar and Others, 2017(1)AICC 692 के मामले मे बच्चे की मृत्यु पर ₹5,00,000 निर्धारित किया है।

17. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बच्चों की मृत्यु के संबंध मे क्षतिपूर्ति की गणना की प्रणाली के पुराने हो जाने तथा बढ़ी हुई महंगाई के आलोक में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 164 के अंतर्गत कम से कम ₹5,00,000 क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का तर्क रखा है।

18. मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 164 के अंतर्गत नो फॉल्ट लायबिलिटी पर क्षतिपूर्ति के लिए कम से कम (मिनिमम कैप) ₹5,00,000 रखा है जिसमें मृतक की आयु का कोई आधार नहीं लिया गया है। लता वाधवा, आर.के. मलिक तथा पुटम्मा के मामलों के बाद काफी समय व्यतीत हो चुका है और तब 2019 का संशोधन अधिनियम आया है हलाँकि वह अभी प्रवर्तनीय नही है फिर भी चूँकि दुर्घटना में मृतक की माँ की भी 20% की लापरवाही रही है अतः मेरे विचार से इस मामले के लिए कम से कम ₹*4*,00,000 की क्षतिपूर्ति निर्धारित किया

जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। याचीगण सं. 1 हरवंश व याची सं.2 श्रीमती संगीता मृतक के माता-पिता है तथा याची सं.3 जयगोपाल व याची सं. 4 श्रीमती राम देवी क्रमशः मृतक के दादा एवं दादी है। अतः मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये याची सं.1 लगायत 4 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 40, 40, 5, व 15 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। याचीगण क्षतिपूर्ति धनराशि नगद प्राप्त कर सकेंगे।तदनुसार यह वाद बिंदु निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं.3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹4,00,000 **(चार लाख)** मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. 92352010008560 IFSC-SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। याची सं.1 लगायत 4 क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 40, 40, 5, व 15 प्रतिशत भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अपने-अपने बैंक खातों मे नगद प्राप्त करेगें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँक 22.03.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनाँकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक 22.03.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी